कोयले के कोटे का दुरुपयोग

1481. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संगठनों तथा व्यक्तियों के राज्यवार नाम क्या-क्या हैं जो अपने कोयले के कोटे को अन्य उद्देश्यों के लिए प्रीमियम पर बेच देते हैं तथा जो कोयले के कोटे का उस कार्य के लिए उपयोग नहीं करते हैं जिसके लिए यह कोटा स्वीकृत किया जाता है ; और

(ख) ऐसे कोटा धारकों द्वारा की जाने वाली कोयले की काला बाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० नथमेगौडा) : (क) और (ख) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपभोक्ताओं को आवंटित किए गए कोयले का अंतरण किए जाने के बारे में कोयला कंपनियों और सरकार को भी शिकायतें मिल रही हैं । यदि उपभोक्ता ऐसे कदाचारों में भाग लेते हुए पाए जाते हैं तो कोयला कंपनियां द्वारा उपयुक्त रूप से जांच किए जाने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति बंद कर दी जाती है/रद्द कर दी जाती है । ऐसे संगठनों, फैक्टरियों और व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने एक निश्चित अवधि के दौरान कोयले के कोटे का अंतरण किया है उसका एक केंद्रीयकृत रिकार्ड कोयला मंत्रालय में नहीं रखा जाता है । सभी कोयला कंपनियों से इस सूचना को इकट्ठा करने में अपेक्षित समयावधि तथा प्रयास काफी मात्रा में होने की संभावना है और इस संबंध में प्राप्त किए जाने वाले परिणाम उनके अनुरूप नहीं होंगे ।

कोयले की चोर बाजारी को रोकने के लिए कोल इंडिया लि० निम्नलिखित निरोधात्मक उपाय कर रही है :—

(1) एक ऐसी पद्धति बना रही है ताकि केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही कोयले का आवंटन मिल सके ।

(2) गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कोयले के कोटे की प्रायोजकता को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार के साथ सक्रिय सहयोग ।

(3) कोयले के सुपुर्दगी आदेशों की हस्तान्तरण की पद्धति पर रोक लगाया जाना ।

(4) कोयला मंत्रालय ने हाल ही में कोलियारी नियंत्रण आदेश में संशोधन करते हुए तीन आदेश/अधिसूचनाऐ जारी की हैं । जहां तक कोयला का उपयोग करने वालों का संबंध है, इस संशोधन के कारण कोयला प्राप्त करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । किंतु यदि वे वास्तविक उपभोक्ताओं के रूप में कोयला प्राप्त करते हैं तो उन्हें अब कोयले के अंतरण अथवा उसकी पुनः बिक्री के लिए कोयला नियंत्रण की पूर्व अनुमति लेनी होगी । कोलियारी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय है ।

Fire in Nandira colliery

1482. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of COAL. be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Nandira colliery in Talcher area (Orissa) caught fire recently, if so, the reasons therefor;

(b) what is the extent of damage caused to the property and the lives of underground shift duty miners; and

(c) whether Government have fixed any accountability for the cause of the fire and constituted a judicial enquiry as demanded by the Trade Unions?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) to (c) There was an incident of fire in Nandira Colliery of Mahanadi Coalfields Limited on 7-6-92 due to short circuiting in an electric cable. There was no casualty